No.A.12032/1/2013-Estt.I
Government of India
Department of Personnel & Training
Staff Selection Commission(HQ)
Block No.12,CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi

Dated: 31st Oct., 2014

CIRCULAR

Sub: Engagement of one Senior Translator(Hindi) in Staff Selection Commission, Department of Personnel & Training, from retired officials of Central Secretariat Official Languages(CSOLS)- inviting application from eligible retired officers thereof.-

It is proposed to engage one Senior Translator(Hindi) against vacant post of Central Secretariat Official Language Service(CSOLS) in Staff Selection Commission, Department of Personnel & Training from retired officials of CSOLS who superannuated from the post of Senior Hindi Translator or higher from the Govt. with the following terms and conditions:

(i) His/her engagement as Senior Translator(Hindi) will be on full time basis for a period of one year in the first instance w.e.f. the date he/she actually takes up the assignment or till competent authority of Staff Selection Commission desires his/her services or until a regular officer nominated from Deptt. of Official Language or till further orders, whichever is earlier. The engagement will, however, be liable to be terminated at any time without assigning any reason thereof.

(ii) The consolidated remuneration of **Rs.20,000/-(Twenty thousands only)**will be paid per month. He/she will not be entitled to any allowances such TA/DA/CCA/HRA/CGHS/Medical reimbursement/LTC/Tuition fee reimbursement such as applicable to Central Govt. employees of his/her status. However, he/she will be entitled to TA/DA as per normal rules which ever is applicable to him/her in the Staff Selection Commission while he/she is on official tour.

(iii) He/she will be eligible for 8 days Casual Leave in a calendar year on pro-rata basis. Therefore, he/she shall not draw any remuneration in case of absence beyond 8 days in a year(calculated on a pro-rata basis). Also unavailed leave in a year cannot be carried forward to next calendar year.

(iv) He/she will have access to the Staff Selection Commission during the period of engagement and will be allowed to borrow books as per library rules.

(v) He/she will be required to discharge the following duties as Sr. Hindi Translator:-

(a) Translation of various documents from English to Hindi and Vice-versa.

(b) To assist Hindi Officer in organizing Hindi meetings and Hindi workshops.

(c) To act as Liaison Officer in Hindi Meetings.

(d) Maintaining files, records and to attend other works relating to Hindi Section whichever is assigned to him/her.

(vi) He/she will not take up any other assignment during the period of consultancy without the prior approval of the Commission.

(vii) He/she will give an undertaking on joining that while discharging duties and responsibilities as Sr. Hindi Translator(Hindi) in the Staff Selection Commission, he/she shall not disclose any confidentiality of office matter.

2. Applicants who retired/superannuated at least from the post of Senior Translator(Hindi) from Govt. will forward/submit his/her application in the enclosed format and invariably accompany a copy of the PPO to Shri Parshotam Singh, Under Secretary(Estt.I) Staff Selection Commission, Block No.12, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003, **within 30 days** of issue of this circular.

(Parshotam Singh)
Under Secretary(Estt.I)

Encl: Proforma of application

To

All Ministries/Departments for circulating among retired officials of CSOLs

Copy to:

1. Deputy Director(OL), SSC, New Delhi.
2. The Under Secretary(OL), Department of Official Language, NDCC-2 Bhawan, B Wing, 4th Floor, Jaisingh Road, New Delhi with the request to publish this circular on their website for wide circulation among retired officials of CSOLs.
3. Department of Personnel & Training, North Block, New Delhi with the request to publish this circular on their website for wide circulation.
4. NIC Cell, SSC with a request to upload this circular on the Commission's website immediately.

P R O F O R M A

ENGAGEMENT AS SENIOR TRANSLATOR (HINDI) IN STAFF SELECTION COMMISSION

1. **Name** :
2. **Date of Birth** :
3. **Contact Number** :
4. **Address for communication** :
5. **Date of joining in Govt. service**
6. **Date of retirement** :
7. **Name of the Ministry/ Department from which retired** :
8. **Lat Pay drawn (Whether copy of PPO enclosed)** :
9. **Education Qualifications** :
10. **Details of knowledge in computer** :
11. **Brief particulars of Experience** :

Recent passport size
Photo to be pasted here

Post held	From	To	Ministry/Deptt.	Subject handles (in brief)

I hereby declare that the particulars furnished above are true and correct to the best of my knowledge and belief. I further declare that I was clear from vigilance angle at the time of my retirement.

Signature of the Applicant

सं. ए-12032/1/2013-स्था.-।

भारत सरकार
कर्मचारी चयन आयोग
कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग
कार्मिक,लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
ब्लाक सं. 12
केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड

GOVERNMENT OF INDIA
STAFF SELECTION COMMISSION
DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS
BLOCK No. 12
KENDRIYA KARYALAY PARISAR
LODI ROAD
New Delhi-110003

दिनांक : 31 अक्तूबर, 2014

परिपत्र

विषय: केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (के स रा भा से) के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों में से कर्मचारी चयन आयोग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में एक वरिष्ठ अनुवादक (हिन्दी) का विनियोजन (नियुक्ति)- तत्संबंधी पात्र सेवानिवृत्त पदाधिकारियों से आवेदन आमंत्रित करना।

कर्मचारी चयन आयोग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियो जो सरकार में वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक अथवा उससे उच्च पद से सेवानिवृत्त हुए हैं में से निम्नलिखित निबंधन और शर्तों पर केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के रिक्त पद पर एक वरिष्ठ अनुवादक (हिन्दी) विनियोजित करने का प्रस्ताव है:-

(i) उनकी वरिष्ठ अनुवादक (हिन्दी) के रुप में नियुक्ति (विनियोजन) पहले एक वर्ष अर्थात् उस तिथि जिससे वह वास्तव में कार्य प्रारंभ करते हैं अथवा जब तक कर्मचारी चयन आयोग के सक्षम प्राधिकारी उसकी सेवा चाहें अथवा जब तक राजभाषा विभाग से नियमित अधिकारी नामित न हो अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो तब तक पूर्णकालिक आधार पर होगी। यह विनियोजन (नियुक्ति) किसी भी समय कोई भी कारण बताए बिना समाप्त किया जा सकता है।

(ii) वरिष्ठ अनुवादक (हिन्दी) को 20,000/- (बीस हजार रुपए केवल) का समेकित पारिश्रमिक प्रति माह दिया जाएगा। वह अपने स्तर के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू किसी अन्य भत्ते जैसे टी ए (परिवहन भत्ता) डी ए/सी सी ए/एच आर ए/सी जी एच एस/चिकित्सा प्रतिपूर्ति/एल टी सी/ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं होंगे।तथापि वे कर्मचारी चयन आयोग में रहते हुए सरकारी दौरे पर सामान्य नियमानुसार टी ए/डीए के हकदार होंगे।

(iii) वे एक केलैंडर वर्ष में यथानुपात आधार पर 8 दिन के आकस्मिक अवकाश के पात्र होंगे। इसलिए वे एक वर्ष में 8 दिन से अधिक अनुपस्थिति के मामले में (यथानुपात आधार पर परिकलित) कोई पारिश्रमिक नहीं लेंगे। एक वर्ष में यदि वे अवकाश नहीं लेते हैं तो वह अवकाश आगामी केलैंडर वर्ष में शेष नहीं रहेगा।

(iv) वे विनियोजन के दौरान कर्मचारी चयन आयोग में आ सकेंगे और उन्हें पुस्तकालय से नियमानुसार पुस्तकें लेने की अनुमति होगी।

(v) वरिष्ठ अनुवादक के रुप में उन्हें निम्नलिखित कार्य करने होंगे:-

(क) विभिन्न दस्तावेजों का अंग्रेजी से हिन्दी व विलोमत: अनुवाद।
(ख) हिंदी अधिकारी की हिंदी बैठकों एवं हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन में मदद करना।
(ग) हिंदी बैठकों में संपर्क अधिकारी के रुप में कार्य करना।
(घ) फाइलों, रिकार्ड का रखरखाव करना और हिंदी अनुभाग से संबंधित सौंपे गए अन्य कार्य करना।

(vi) वे आयोग की पूर्व अनुमति के बिना इस अवधि के दौरान कोई अन्य कार्य नहीं करेंगे।

(vii) वह कार्यभार ग्रहण करने पर वचन देंगे कि कर्मचारी चयन आयोग में वरिष्ठ अनुवादक के रुप में अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करते हुए वे कार्यालय मामले की किसी भी गोपनीयता को प्रकट नहीं करेंगे।

2. आवेदक जो सरकार से कम से कम वरिष्ठ अनुवादक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, अपने पीपीओ की एक प्रति सहित अपने आवदेन संलग्न प्रारुप में इस परिपत्र के जारी होने के 30 दिन के भीतर श्री परषोत्तम सिंह, अवर सचिव, (स्था-I), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक 12, के.का. परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को भेज दें।

(परषोतम सिंह)
अवर सचिव (स्था.-I)

संलग्न: आवेदन का प्रपत्र

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभागों को के.स.रा. सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों में परिचालन के लिए।

प्रतिलिपि:-

1. उप-निदेशक (रा.भा.), कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।
2. अवर सचिव (रा.भा. सेवा) राजभाषा विभाग, एनडीसीसी-2 भवन, बी-विंग, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि इस परिपत्र को के.स.रा.सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों में परिचालित करने हेतु राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि वे व्यापक परिचालन के लिए इस परिपत्र को कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
4. एन आईसी सेल, कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि वे तत्काल इस परिपत्र को आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।

प्रपत्र

कर्मचारी चयन आयोग में वरिष्ठ अनुवादक के रुप में विनियोजन (नियुक्ति)

(यहॉ हाल ही में खींची गई पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाई जाए)

1. **नाम** :

2. **जन्म-तिथि** :

3. **सम्पर्क नम्बर** :

4. **पत्राचार के लिए पता** :

5. **सरकार में कार्य भार ग्रहण करने की तारीख** :

6. **सेवानिवृत्ति की तारीख** :

7. **मंत्रालय/विभाग का नाम जहॉ से सेवानिवृत्त हुए हैं**

8. **लिया गया अंतिम वेतन** :
(क्या पीपीओ की प्रति संलग्न की है।):

9. **शैक्षिक योग्यता** :

10. **कम्पयूटर ज्ञान का विवरण** :

11. **अनुभव का संक्षिप्त ब्यौरा** :

धारित पद	से	तक	मंत्रालय/विभाग	किए गए कार्य (विषय) संक्षेप में

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण मेरे पूर्ण विश्वास के अनुसार ठीक हैं। मैं इसके अतिरिक्त यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि सेवानिवृत्ति के समय मुझे सतर्कता की दृष्टि से अनापत्ति प्रदान की गई थी।

आवेदक के हस्ताक्षर